

के से संबंधित से 1/2 हिस्सा की भूमि का  
 अन्ततः कुछ भी लाहनाम जमिनी सुधार विभाग  
 कागजाती की प्रतीति की, जिला की  
 जिला अधिकारी विभाग पर दिनांक  
 का का की है। इस प्रकार वर्तमान में विभागीय कार्यालय  
 के 1/2 हिस्सा का उचितता सं 1 रेगुलेशन के अंतर्गत  
 1/2 हिस्सा का कादिना जमिनी अधिकारी विभाग  
 कादिना के है। अतः कादिना की सुधार विभागीय  
 भूमि के 1/2 हिस्सा का जामेदार कादिना के  
 जिला जमिन विभागीय भूमि में 1/2 हिस्सा का  
 का कादिना एवं 1/2 हिस्सा का उचितता सं 1 के  
 अन्तर्गत उचितता कादिना जमिनी का कादिना के  
 के के कादिना पत्रावली दिनांक 03/01/2023

03/01/2023

पत्रावली वास्तु आदेश आज पेश हुई  
 पत्रावली उक्त पत्र उपस्थित। प्रकरण के अंतर्गत  
 उक्त पत्र उक्त अर्थ में सुनी जा चुकी  
 है।

अतः प्रकरण में विभागीय कार्यालय  
 के 1/2 हिस्सा का उचितता सं 1 रेगुलेशन  
 अन्तर्गत है तथा शेष 1/2 हिस्सा की कादिना जमिनी  
 अधिकारी विभाग के अन्तर्गत है।

अतः तन ग्राम भूशेखरी प्रहरील धोरे  
 जिला श्रीरंग (राज) अन्तर्गत भूमि भूमि  
 का सं 43/2 अक्षा 0.1200 है का कादिना  
 की जामेदार कादिना के 1/2 हिस्सा का

मिमा

शिवा जाकर वादिया एवं शिवादी  
 सं० 1 द्वारा प्रस्तुत शालीनामा के  
 संलग्न नकशा अनुसार  
 1/2 हिस्सा का वादिया तथा  
 1/2 हिस्सा का शिवादी सं० 1  
 का पृथक - पृथक लगान कायम  
 कर, सिन कट्टा अम्बर प्रती  
 हुए नकशा ड्रेन में लाल सुर्ख  
 रंगी से तस्वीर करते हुए विधि  
 विभाजन डिपे जाने का तस्वीरदार  
 थोड के आदेश प्रदान किया जा  
 रहा है। उक्तानुसार शासक्य रेकर्ड  
 में अमल कराया है तथा  
 नदनुसार पचा डिही भुक्ति  
 है। पचावली केसल शुकात होकर  
 नम्बर से कम है तथा काद तस्वीर  
 दाखिल दफतर है। यह निर्णय कार्य  
 दिनांक 03/01/2022 को मेरे द्वारा  
 एन्ताकरित कर खुले न्यायालय  
 में न्यायालयी मुद्रा सहित  
 शुनाय शया।

(मुनेश कुमारी)  
 RAS  
 सहायक क्लर्क  
 इक्विटी (सीकर)